बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– जन सम्पर्क/6/14(विविध)–356 /पटना, दिनांक– 16-09-2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
जन–सम्पर्क पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।
सभी मुख्य अभियन्ता (यॉ0 सहित),
जल संसाधन विभाग।
निदेशक,
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना।
निदेशक,
क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय।
संयुक्त निदेशक,
FMISC
सभी उप सचिव,
जल संसाधन विभाग/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय।

विषय– **बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशन कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी विज्ञापनों को बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशन कराया जाना है।

इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग से मुख्यालय स्तर पर प्राप्त विज्ञापनों को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को भेजने हेतु कार्यालय प्रधान के रूप में ई0 अरविन्द कुमार सिंह, जन–सम्पर्क पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। श्री सिंह, जन–सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा प्राप्त विज्ञापनों का हॉर्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी का जॉच कर आश्वस्त होने के उपरान्त प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को हस्तगत कराया जायेगा।

अतः बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के प्रावधानों से संबंधित पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृप्या अपने स्तर से विज्ञापन नीति के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञापन सामग्री तैयार कर भेजने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/9/2016

(अरविन्द कुमार सिंह)
जन–सम्पर्क पदाधिकारी।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 356 /पटना, दिनांक– 16-09-2016.

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, प्रभारी कम्पयूटर कोषांग, सिंचाई भवन, पटना को पत्र की प्रति के साथ विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु समर्पित।

अनु०- यथोक्त।

16/9/2016

(अरविन्द कुमार सिंह)
जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
दूरभाष सं0– 0612–2217567,
मो0– 9334411411
ई–मेल–arvindkumarsingh.pro@gmail.com

145061/2016/WRD

2681 — 13
22.7.16

22 JUL 2016

बिहार सरकार—
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

पत्रांक—वि0(4)—05—07 / 2015.......512.......सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक....21.7.16

ब्रजेश मेहरोत्रा
सरकार के प्रधान सचिव।

PRO 162 21.7.16

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी

विषयः - बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग :— विभागीय पत्रांक—144 दिनांक—19.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक—144 दिनांक—19.02.2016 कृपया स्मरण करना चाहेंगे।

उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के कंडिका—4 (क) के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत सूची के समाचार पत्र / पत्रिकाओं के लिए (i) बिहार सरकार का प्रत्येक विभाग, बोर्ड / निगम / निकाय आदि सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कार्यालय प्रधान को चिन्हित करेगा, जो उक्त विभाग / कार्यालय की ओर से सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग को विज्ञापन भेजने हेतु प्राधिकृत होंगे। सभी विभाग / कार्यालय विज्ञापन के प्रकाशनार्थ ऐसे सक्षम एवं प्राधिकृत कार्यालय प्रधानों की सूची सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बिहार विज्ञापन नीति, 2008 की कंडिका—4 (क) (ii) की प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के विभागों के विज्ञापन भेजने हेतु प्राधिकृत कार्यालय प्रधान को सामान्यतः निम्नांकित तथ्यों को ध्यान रखना आवश्यक है :—

(i) निविदा सूचना परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व तथा अल्पकालीन निविदा कार्यों के लिए निविदा सूचना परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि से 7 (सात) दिन पूर्व अपने विज्ञापन की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग को हस्तगत कराया जाए।

(ii) विज्ञापन नीति, 2008 के कंडिका—4 (क) (iii) के प्रावधान के अनुसार विज्ञापन प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों के चयन का अधिकार सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग को है, जिसके तहत विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों का चयन किया जाता है, परन्तु कतिपय विभागों / कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों का नाम अंकित कर विज्ञापन सामग्री भेजी जाती है जो, विज्ञापन नीति, 2008 के अनुरूप नहीं है।

प्रायः इसका अनुपालन सभी विभाग / बोर्ड / निगम / निकाय के कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विज्ञापन प्रकाशित कराने में विभाग को अत्यन्त कठिनाई होती है।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै0स0प्रे0सं0.....5820.....
दिनांक.....22.7.16.....

2– मितव्ययिता के दृष्टिकोण से विभाग/कार्यालय द्वारा प्रकाशन हेतु भेजी जाने वाली विज्ञापन सामग्री तथ्यपरक एवं संक्षिप्त प्रारूप मे रहना आवश्यक है। विज्ञापन से संबंधित अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय। विज्ञापन सामग्री बड़ा होने से सरकारी राशि का अपव्यय संभावित है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि तकनीकी रूप से तैयार विज्ञापन सामग्री संक्षिप्त रूप में प्रकाशन हेतु भेजा जाय एवं अन्य विस्तृत जानकारी/शर्तें आदि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

3– प्रायः ऐसा पाया जाता है कि निविदा सूचना प्रकाशित कराने के पश्चात् उसका शुद्धि पत्र प्रकाशन हेतु विभाग को भेजा जाता है एवं कई मामलों मे दो या तीन बार अवधि विस्तार/शुद्धि पत्र भेजा जाता है जो सरकारी राशि का अपव्यय है। इस संबंध में आवश्यक है कि प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व विज्ञापन सामग्री की परिशुद्धता से स्वयं आश्वस्त हो लिया जाय ताकि सरकारी राशि का अपव्यय न हो।

4– आपको सूचित किया जा रहा है कि सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रकाश्य सामग्री की हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 प्रत्येक कार्य दिवस को **10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे** अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों से उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन सामग्री प्रकाशन के लिए सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को हस्तगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/- 21/7

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 512 /सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक 21-7-16

प्रतिलिपि :– सभी बोर्ड/निगम/निकाय के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव। 21/7

ज्ञापांक– 512 /सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक 21-7-16

प्रतिलिपि :– सभी जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव। 21/7